ईमेल–cfoalm.ukfs@gmail.com

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोड़ा।

पत्रांक–सीएफओ/एन/एसएन/2024–25(293) दिनांक दिसम्बर 10 2025

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य
आनन्द शिक्षा समिति
सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा।

विषय:– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

आवेदन यूनिक संख्या–3840306 दिनांक 08.12.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services की वेब पेज पर प्राप्त आवेदन का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा से कराया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10.12.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु (एबीसी क्षमता 04 कि0ग्रा0 के 07 अदद, सीओटू 4.5 किग्रा क्षमता का 01 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर, होज रील 01 अदद, एक लाख लीटर क्षमता का भूमिगत व पाँच हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड वाटर टैंक) स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार टेस्टिंग शुल्क जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की संस्तुति के आधार पर शिक्षण संस्थान का (भूतल–19 कमरे, प्रथम तल–19 कमरे व द्वितीय तल में 06 कमरे हेतु) को दिनांक 31 मार्च 2025 से 30 मार्च 2026 तक प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रदान किया जाता है व निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :–

01 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

02 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।

02 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया जाए।

03 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीवन रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

04 किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके शैक्षणिक संस्थान/भवन का अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जायेगा, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एन0बी0सी0 भाग–4 के अनुसार पूर्ण न पाये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

05 विद्युत बोर्ड, निकास मार्ग व सैट बैक क्षेत्र में किसी लकड़ी का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने की दशा में यह प्रबंधन की लापरवाही मानी जायेगी, तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।